टी0ए0 मिस केस सं0 76/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
28/06/19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका विक्रेता चुम्बा गागराई (कुई), पति– स्व० विजय गागराई, निवासी ग्राम– हाटगम्हरिया, थाना– हाटगम्हरिया, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– गम्हरिया, थाना नं०– 428 के अन्दर खाता नं०– 315, प्लॉट नं०– 175, रकवा– 0.04 एकड़ भूमि क्रेता यदुनाथ सिंकु, पिता– स्व० डुका सिंकु, ग्राम– केन्दपोसी, थाना– हाटगम्हरिया के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि हालसर्वे खतियान में हाड़ी हो पिता पहाड़ हो एक अंश मादु हो पिता पराऊ हो के नाम पर रेकार्ड दर्ज है। आवेदित भूमि नामान्तरण मु० सं० 13/R27 2018–19 के द्वारा आवेदिका के नाम से नामान्तरित है। आवेदिका का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 128, दिनांक– 24.06.19 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान मरम्मति एवं अन्य घरेलू कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता यदुनाथ सिंकु, पिता– स्व० डुका सिंकु, ग्राम– केन्दपोसी, थाना– हाटगम्हरिया के पास 65,000.00/– (पैंसठ हजार रूपये) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदिका के पास शेष 5.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदिका के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रयाप्त है। अतः अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता चुम्बा गागराई (कुई), पति– स्व० विजय गागराई, निवासी ग्राम– हाटगम्हरिया, थाना– हाटगम्हरिया, क्रेता यदुनाथ सिंकु, पिता– स्व० डुका सिंकु, ग्राम– केन्दपोसी, थाना– हाटगम्हरिया के पास जमीन को कुल 65,000.00/– (पैंसठ हजार रूपये) में मौजा– गम्हरिया, थाना नं०– 428 के अन्दर खाता नं०– 315, प्लॉट नं०– 175, रकवा– 0.04 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति .... दी जाती है। लेखापित (हस्ताक्षर) 28/6 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 28/6/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner